भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 132

उत्तर देने की तारीख : 14.09.2020

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रियायती दरों पर ऋण

132. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या कितनी है जिन्होंने घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की 3 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा के एक भाग के रूप में ब्याज की रियायती दर पर मियादी ऋण के लिए अब तक आवेदन किया है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पहले से ही जारी की गई राशि कितनी है;

(ग) नई परिभाषा के अंतर्गत स्वयं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत करवाने वाली नई कंपनियों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या कितनी है जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिवालिया होने की घोषणा की है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख) : आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का कार्यान्वयन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिए किया जा रहा है जोकि वित्त सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। डीएफएस ने यह सूचित किया है कि इस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 09.09.2020 तक 42,01,060 ऋण प्राप्त कर्ताओं को 163,103 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है तथा 25,01,216 ऋण प्राप्त कर्ताओं को 117,885 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में केवल ऋण प्रदानकर्ता सदस्य संस्थानों (एमएलआई) को ऋण सुविधाओं पर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करने का प्रावधान है जिसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित लाभार्थियों की पात्र श्रेणियों तक विस्तार किया गया है, इसलिए सरकार द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से धनराशि निर्मुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार इकाइयों के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की है। दिनांक 11.09.2020 तक इस पोर्टल में 4,91,694 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है जिनमें उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) वाले पूर्ववर्ती पोर्टल से इस पोर्टल में अंतरित हुई 56,399 इकाइयां भी शामिल हैं।

(ङ) : स्वामित्व संबंधी वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश एमएसएमई या तो स्वामित्वधारक या साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसी फर्मों पर दिवालियापन की धारा लागू नहीं होती है। पंजीकृत कंपनियों के मामले में विधि और न्याय मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2020 को पहले ही यह अधिसूचित कर दिया है कि दिनांक 25.03.2020 को या उसके पश्चात के छह माह की अवधि के लिए अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो इस संबंध में अधिसूचित तारीख से एक वर्ष से कम हो, के दौरान किसी प्रकार की चूक के लिए किसी कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव संबंधी प्रक्रिया शुरु करने का कोई आवेदन दायर नहीं किया जाएगा।

*****